न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 123 / 2025(GCMS 2025/484)
(RTI No. 2121518385216823)

श्री राजकुमार पुत्र श्री हरीराम, निवासी वीपीओ बनवाली, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ (मोबाईल नम्बर 90011–82996)

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं **तहसीलदार (राजस्व)**, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.01.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजकुमार स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2025 से तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ से सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसलिए अपीलार्थी ने प्रथम अपील पेश कर, सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि राजकुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2025 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी से निम्न बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. उपखण्ड एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकार समस्त उपखण्डों जिला श्रीगंगानगर में संचालित राजकीय व निजी उच्च शिक्षण संस्थानों / कॉलेजों की संख्या, नाम, पता, Email, सम्पर्क सूत्र व उनके शी–बॉक्स पर रजिस्ट्रेशन की प्रति, गठित आन्तरिक शिकायत समिति व उक्त का शी–बॉक्स पोर्टल पर अपडेशन की प्रति, POSH अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधानों की प्रमाणित प्रति जो शी बॉक्स पोर्टल पर अपडेशन की गई है।
2. आपके क्षेत्राधिकार में संचालित फैक्ट्री [illegible] एक्ट में रजि. कारखानें, ईट भट्टें [illegible] की संख्या, नाम, पता, Email, सम्पर्क सूत्र व [illegible] समस्त कार्यस्थलों का पोश अधिनियम 2013 की पालना [illegible] शी–बॉक्स पोर्टल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:45:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 123 / 2025
(GCMS No. 2025/484)
(RTI No. 212151835216823)

कार्यालय रजिस्ट्रेशन व गठित आन्तरिक शिकायत समिति के अपडेशन की प्रति उपलब्ध करवायें।

3. आपके क्षेत्राधिकार में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के जरिये क्षेत्र में संचालित व कार्यरत समस्त श्रेणी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, नाम पता, Email, सम्पर्क सूत्र व समस्त द्वारा पोश अधिनियम 2013 की पालना में शी बॉक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रति, गठित आन्तरिक समिति व उसके अपडेशन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।
4. आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार की नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों, उपतहसील व तहसील स्तर में कार्यरत व संचालित होटलों, धर्मशालाओं, रेस्टोरेंट, गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित आश्रम, क्रीडा व मनोरंजन स्थल व शॉप एक्ट में रजिस्टर्ड इकाईयां, बैंक, फाईनेंस कम्पनियों, रेलवे स्टेशनों, पोस्ट ऑफिस, मन्दिर, मठ, गिरजाघर, गुरूद्वारों की संख्या, नाम, पता व पोश अधिनियम 2013 की पालना शी बॉक्स पोर्टल पर उनके कार्यस्थलों के रजिस्ट्रेशन की प्रति व गठित आन्तरिक शिकायत समिति व पोर्टल पर अपडेशन की प्रति उपलब्ध करवायें।
5. आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार में संचालित व कार्यरत रिको आधारित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या, नाम, पता व उनके प्रतिष्ठानों की शी बॉक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन व गठित आन्तरिक शिकायत समिति के अपडेशन की प्रति उपलब्ध करवायें।
6. आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार में संचालित व कार्यरत राजकीय सामुदायिक अस्पतालों, ट्रोम सेन्टर, ग्रामीण पीएचसी, आर्युवेदिक सेन्टर, निजी–अस्पतालों, नर्सिंग सैंटरों की संख्या, नाम, पता, सम्पर्क सूत्र व उनके कार्यालयों में शी बॉक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रति व गठित आन्तरित शिकायत समितियों पर अपडेशन की प्रति उप[illegible] करवायें।
7. आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार में पंचाय[illegible] समिति[illegible] की संख्या, नरेगा इकाईयों की संख्या, [illegible] के शी बॉक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रति [illegible] गठित आन्तरिक शिकायत समितियों के अपडेशन की प्रति उपलब्ध करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:45:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

8. आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार में लेबर डिपोर्टमैंट के जरिये असगंठित क्षेत्र/ठेकेदारों द्वारा अपनी इकाईयों के शी बॉक्स पोर्टल पर अपडेशन की प्रति उपलब्ध करवायें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/359 दिनांक 29 दिसम्बर 2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री राजकुमार द्वारा ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल पर आवेदन संख्या 212739935999728 दिनांक 02.12.2025 को 10 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। जो कि कार्यालया के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं होने के कारण टिप्पणी "**सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(F) के तहत सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो, दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो, आप द्वारा जिस प्रकार से सूचना चाही गई है उस रूप में कार्यालय में संधारित नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम में अलग से सूचना संकलित करके उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है, अतः आप किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर रिकॉर्ड का अवलोकन करें, अवलोकन उपरान्त आप द्वारा चाह गया रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दिया जावेगा**" द्वारा आवदेन निरस्त किया गया था।

श्रीमान्जी आवेदनकर्त्ता श्री राजकुमार द्वारा अपील के बिन्दु संख्या 08 में श्रीमान्जी के आदेशांक WE/POSH Act/2025 dated 19.03.2025 व WE/POSH Act/2025 dated 29.01.2025 दिनांक 29.01.2025 का उल्लेख किया गया है जबकि मूल आवेदन पत्र में उक्त आदेशों का उल्लेख नहीं किया गया था। श्रीमानजी के उक्त आदेशों में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पनीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। जिसके सम्बन्ध में कार्यालय हाजा के आदेशांक रीडर/24/713–721 दिनांक 06.6.224 द्वारा कमेटी का गठन कर लिया गया था, जिसकी प्रति संलग्न है।

श्रीमान्जी आवेदनकर्त्ता के मूल आवेदन में सूचना चाही गई थी वह कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं के कारण निरस्त किया गया था। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त अपील निरस्त करने का श्रम करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:45:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 123/2025
(GCMS No. 2025/484)
(RTI No. 212151835216823)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है :

> **6(3) यथा स्थिति, प्रत्येक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों की कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।''**

सूचना क सम्बन्ध किसी अन्य लोक प्राधिकरण से है,तो अधिकतम 5 दिवस में अवधि में ऐसे अनुरोध पत्र को मूलतः या आंशिक संबंधित लोक प्राधिकरण को अन्तरित करना चाहिए। यदि किसी सूचना का सम्बन्ध एक से अधिक अर्थात 2 लोक प्राधिकरण से सूचना का सम्बन्ध है तो वह नियमानुसार एक लोक प्राधिकरण को प्रत्यर्थी 5 दिवस की अवधि में अनुतोष अन्तरित कर सकते है। जबकि प्रार्थी द्वारा विभिन्न विभागों की सूचना चाही गई है जिनके लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी अलग–अलग है, इसलिए **अपीलार्थी को अपने स्तर से अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करने चाहिए।**

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ़ ने अपील का जवाब उक्तानुसार अपने पत्रांक आरटीआई/2025/359 दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से कार्य करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रयुक्त "सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना **के रूप में** कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:45:06 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ़ द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के भावनाओं को देखते हेतु तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करें तो उसे वांछित सूचना से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करवा देवें और अवलोकन उपरान्त अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उसे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ़ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:45:06 IST
Reason: SelfAttested